

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3]	नई दिल्ली, जनवरी 17—जनवरी 23, 2016, शनिवार/पौष 27— माघ 3, 1937
No. 3]	NEW DELHI, JANUARY 17—JANUARY 23, 2016, SATURDAY/PAUSA 27— MAGHA 3, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 14.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय निरीक्षण निदेशालय (वर्ग - 3 अनुसचिवीय और अनुसचिवीय पद) नियम, 1962 को, जहाँ तक उसका संबंध आशुलिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में आशुलिपिक श्रेणी - 2 के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी - 2 पद भर्ती नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान —** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और अन्य अर्हताएं आदि -** भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता -** वह व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है ; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी - 2	31* (2016) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतनबैंड-1, 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी।	(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ख) कौशल परीक्षा मापदण्ड :- श्रुतलेख :- 10 मिनट में 80 शब्द प्रतिमिनट की दर से प्रतिलेखन :- (केवल कम्प्यूटर पर) 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी)

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का माध्यम क्या सीधी भर्ती द्वारा हो अथवा प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष, दो सप्ताह की अवधि का आवश्यक अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा करने के अध्ययधीन	सीधी भर्ती द्वारा पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं, में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) क्षेत्रीय कार्यालय का उपमहानिदेशक - अध्यक्ष (2) निदेशक (प्रशासन) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय-सदस्य (3) प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय - सदस्य (4) क्षेत्रीय कार्यालय या अन्य कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/3/2012/प्रशा. समन्वय]

परिमल करण, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(SUPPLY DIVISION)**

New Delhi, the 11th January, 2016

G.S.R. 14. – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Directorate of Inspection (Class III- Ministerial and Non-Ministerial Posts) Rules, 1962, in so far as they relate to the post of Stenographers, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to post of Stenographer Grade-II in Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Directorate General of Supplies and Disposals, Regional offices, Stenographer Grade-II Posts Recruitment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualifications.**— No person,-
 - who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post.	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer – Grade-II.	31* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) Note: - The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(a) 12 th class pass from a recognised Board. (b) <u>Skill Test Norms</u> : - <u>Dictation</u> : 10 minutes @ 80 words per minute. <u>Transcription</u> : (Only on Computers) 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years, subject to successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government	Not applicable	<u>Group 'C' Departmental Confirmation Committee</u> (for considering confirmation) consisting of:- (1) Deputy Director General of Regional Office - Chairman; (2) Director (Administration), Directorate General of Supplies and Disposals - Member; (3) Administrative Officer	Not applicable.

		holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column – (7).		, Regional Office - Member; (4) A Gazetted Officer from Regional office or another office - Member.	
--	--	---	--	--	--

[F. No. A-12018/3/2012/Admn. Coord.]

PARIMAL KARAN, Under Secy.

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 15.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) नयाचार अधिकारी (भर्ती) नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में नयाचार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) नयाचार अधिकारी भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकृत विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नयाचार अधिकारी	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600/-रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिक के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ सशस्त्र बल कार्मिक के लिए पुनर्नियोजन/प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4200 रु या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री। (ii) नयाचार या जन सम्पर्क कार्य में दो वर्ष का अनुभव। [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति : - संयुक्त सचिव (स्थापना) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग – अध्यक्ष - उप सचिव / निदेशक (स्थापना) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग – सदस्य - उप सचिव / निदेशक (सतर्कता और संसद या नयाचार) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग – सदस्य	सशस्त्र बल कार्मिक के लिए पुनर्नियोजन पर किसी अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन

भारतीय सेना, नौ सेना और वायु सेना में नायब सुबेदार या समतुल्य पंक्ति में सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। (सिविल पदों के संदर्भ में अर्धवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

[फा. सं. ए- 12018/2/2009-ई. I]

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 15th January, 2016

G.S.R. 15.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Protocol Officer (Recruitment) Rules 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Protocol Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) Protocol Officer (Recruitment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post:

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay/pay scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Protocol Officer	1* *(2015) Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4600/-	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications prescribed for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for re-employed Armed Forces personnel

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Deputation (Including Short Term Contract) / Deputation /Re-Employment for Armed Forces Personnel	<u>Deputation (ISTC):</u> Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertaking or Recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous organisations. (A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (II) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200/- or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following educational qualifications and experience:- (I) Bachelor Degree of a recognised University;

	(II) Two years' experience of Protocol or public relations work. (Period of deputation(ISTC) including period of deputation(ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation(ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications). Note: For the purpose of appointment on deputation(ISTC) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be the service rendered in corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation or Re-Employment (For Armed Force personnel): Armed Forces personnel in the rank of Naib Subedar or Equivalent in Indian Army, Navy and Air Force, who are due to retire or to be transferred to Reserve within a period of one year and having the experience and qualification prescribed for deputationists shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to civil posts).
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee: 1. Joint Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion. – Chairman. 2. Deputy Secretary/ Director (Establishment) Department of Industrial Policy and Promotion. – Member. 3. Deputy Secretary/ Director (Vigilance or Parliament or Protocol), Department of Industrial Policy and Promotion. – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for appointing an officer on re-employment for Armed Forces personnel.

[F. No. A-12018/2/2009-E.I]

L.K. SHARMA, Under Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 16.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल आयोग मुख्य कलाकार (भगीरथ – अंग्रेजी और हिन्दी) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय में मुख्य कलाकार (भगीरथ – अंग्रेजी और हिन्दी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग मुख्य कलाकार (भगीरथ – अंग्रेजी और हिन्दी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** — भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य कलाकार (भगीरथ — अंग्रेजी और हिन्दी)	1 * (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड — 2, 9300—34800₹. और ग्रेड वेतन 4200 ₹.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं, या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 में वेतनमान 5200-20200 ₹. और ग्रेड वेतन 2800 ₹. या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में नियमित आधार पर छ: वर्ष की सेवा की हो
(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता है:

(i)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्यक कला में बैचलर या ललित कला में बैचलर डिग्री। अथवा
(ii)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्यक कला या ललित कला में डिप्लोमा और रंगीन, श्याम और श्वेत में अभिविज्ञान का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें दृष्टान्त और पत्रिकाओं / पुस्तिकाओं और अन्य तकनीकी प्रकाशनों के आवरण का डिजाईन तैयार करने का अनुभव भी है।
टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति या आमेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. 08/2015, फा.सं. 35/8/2009—स्थापना-1]

अशोक कुमार कौशिक, अवर सचिव

**MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT
AND GANGA REJUVENATION**

New Delhi, the 30th December, 2015.

G.S.R. 16. – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water Commission Chief Artist (Bhagirath-English and Hindi) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Artist (Bhagirath-English and Hindi) in the Ministry of Water Resources, the Central Water Commission, namely :—

- Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Water Commission, Chief Artist, Bhagirath-English and Hindi, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. –** The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc. –** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification. –** No person –
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** –Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Artist (Bhagirath-English and Hindi)	1* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' non-Gazetted Non-Ministerial	PB-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs.4200	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion/ deputation/ absorption is to be made

(11)

Deputation:

Officers under Central Government or State Government:-

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2800 in PB-1 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
- (i) Degree in Commercial Art or Fine Arts from a recognized University.
- OR
- (ii) Diploma in Commercial Art or Fine Art from a recognised University or Institution and three

years experience of layout work in colour and black and white, including preparation of illustration and cover designs for magazines, pamphlets and other technical publications.

Note 1.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[No. 08/2015, F.No. 35/8/2009-Estt.I]

A.K. KAUSHIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल आयोग अनुसचिवीय समूह 'ग' पद (अधीनस्थ कार्यालय) भर्ती नियम, 2001 को, जहाँ तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय जल आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक, अनुसचिवीय (समूह 'ग') पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग (अधीनस्थ कार्यालय) अनुसचिवीय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान —** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि —** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता —** वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अवर श्रेणी लिपिक	163 * (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड — 1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी (जहाँ भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाती वहाँ आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं 12 कक्षा या उसके समतुल्य अर्हता। (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की गति। या कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की गति। (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट)	हाँ, स्तंभ 10 में इंगित सीमा तक।

परिीक्षा की	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति
-------------	---	----------------------------

अवधि, यदि कोई हो	पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	(1) पचासी प्रतिशत रिक्तियाँ, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (2) दस प्रतिशत रिक्तियाँ प्रोन्नति द्वारा ग्रेड वेतन 1800 रु. के बहुकार्य कर्मचारिवृन्द में से विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी जो बारहवीं कक्षा पास या समतुल्य अर्हता रखते हों और उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष)। टिप्पणः—यदि खंड (2) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके। (3) पाँच प्रतिशत रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृन्द में से भरी जाएंगी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रु. के साथ उस पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है।	जैसा कि स्तंभ 10 में वर्णित है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' अनुसचिवीय विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।
(i) निदेशक (प्रशासन)/निदेशक(स्थापन)/सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष (ii) अवर सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य (iii) अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8	9
2. उच्च श्रेणी लिपिक	218 * (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड — 1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने केन्द्रीय जल आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसचिवीय काडर में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:— (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं। (ii) वेतन बैंड—1: 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1:—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 2 —प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति अनुसचिवीय	लागू नहीं होता।
1. निदेशक (प्रशासन) / निदेशक(स्थापन) / सचिव, —अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग	
2. अवर सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य	
3. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य	

[सं. 07 / 2015, फा.सं. 35 / 3 / 2010—स्थापना—1]
अशोक कुमार कौशिक, अवर सचिव

New Delhi, the 30th December, 2015

G.S.R. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of Central Water Commission Ministerial Group 'C' posts (Subordinate Offices) Recruitment Rules, 2001 related to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Ministerial (Group-C) posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the subordinate offices of the Central Water Commission, namely :-

- (1) Short title and commencement** – These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission (Subordinate Offices) Ministerial (Group-C posts) Recruitment Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale** .—The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** .— The method of recruitment, age limits, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.
- Disqualification-** No Person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person
shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band, Grade Pay/ Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Lower Division Clerk	163* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C', Ministerial Non-Gazetted	Pay Band-1, Rs.5200-20200/- with grade pay of Rs.1900/-	Non-Selection	Between 18 to 27 years of age (relaxable for Government servants up to age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission (where recruitment is not through SSC, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications)	(i) 12 th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University. (ii) A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on computer. Or A typing speed of 35 word per minute in English or 30 word per minute in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30.w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).	Yes, to the extent indicated in column 10

Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
Two years	(1) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (2)10% of the vacancies	As stated in Column 10	Group 'C' Non-Ministerial Departmental Promotion/Confirmation Committee for considering promotion/confirmation	Not Applicable

	shall be filled by promotion from amongst the Multi Tasking Staff in the grade pay of Rs.1800/- and who possess 12th Class Pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes employees). Note: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (2) qualify at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (3) 5% of the vacancies shall be filled by promotion on seniority-cum-fitness basis from Multi Tasking Staff employees who have 3 years regular service in posts with Grade Pay of Rs. 1800/-		consisting of (i) Director (Administration)/ Director(Establishment) / Secretary, CWC- Chairman; (ii) Under Secretary, Central Electricity Authority - Member; (iii) Under Secretary, Central Water Commission - Member.	
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
2. Upper Division Clerk	218* (2015) *Subject to variation depending on work load	General Central Service Group 'C', Ministerial, Non Gazetted	PB-1, Rs.5200-20200/- with grade pay of Rs.2400/-	Non-selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	PROMOTION; Lower Division Clerk who has rendered at least 8 years regular service in the Ministerial Cadre of Subordinate Offices of CWC.	Departmental Promotion Committee Group 'C', Ministerial (i)Director(Admn) / Director (Establishment) /	Not Applicable.

			Deputation: Officers under the Central Government or State Governments (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk in the pay band PB-1: Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900. NOTE 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. NOTE 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	Secretary, CWC –Chairman; (ii)Under Secretary, Central Electrical Authority – Member; (iii)Under Secretary Central Water Commission –Member.	
--	--	--	--	---	--

[No. 07/2015, F.No. 35/3/2010-Estt.I]

A.K. KAUSHIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 18.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुत द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए और फरक्का बैराज परियोजना समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2003 और फरक्का बैराज परियोजना (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2002 जहां तक वे फरक्का बैराज परियोजना में आशुलिपिक ग्रेड-I और आशुलिपिक ग्रेड-II से संबंधित हैं, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले जो बाते हटा दी गई हैं, अथवा हटा दी जाती हैं, को छोड़कर, फरक्का बैराज परियोजना में आशुलिपिक ग्रेड-I के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (i) इन नियमों को फरक्का बैराज परियोजना (आशुलिपिक ग्रेड-I) भर्ती नियम, 2015 कहा जाएगा।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों की संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, तथा अन्य अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उनसे, संबंधित अन्य बाते उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता-** वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आशुलिपिक श्रेणी-I	08* 2015 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अनुसन्धिवीय	वेतन बैंड-2: 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए	चयन	18-27 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जाएगी)	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास 2. (क) 100 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट का श्रुतलेखन (ख) कम्प्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी)/ 55 मिनट (हिन्दी) प्रतिलेखन वांछनीय: कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्ष का डिप्लोमा टिप्पणी 1: अभ्यर्थियों के अन्यथा अर्हक होने पर, कारणों को लेखबद्ध करते हुए कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हता को शिथिल किया जा सकता है। टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी चरण में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इस संबंध में कारणों को लेखबद्ध करते हुए कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारियों के विवेकानुसार अनुभव के विषय में अर्हता (अर्हताओं) को शिथिल किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: आशुलिपिक ग्रेड-II 5200-20,200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 के वेतनमान में 10 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु, यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006- वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर संगत ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा/प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006- वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को, ऐसे मामले, जहां एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान को सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान में मिला दिया गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) को दिया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्पाती ग्रेड होगा छोड़कर, आयोग की सिफारिशों के आधार पर संगत ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। टिप्पण3: प्रोन्नति वाले पद के कर्तव्यों के क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण। प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश/स्वायत्त निकायों/साविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/शोध संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में आशुलिपिक के पद पर कार्य कर रहे वो जो: (क)(i) वर्तमान कॉडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारी हैं; अथवा, (ii) वेतन बैंड-I में 2400 रुपए के ग्रेड वेतन सहित पद 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो अथवा समकक्ष टिप्पणी1: फीडर ग्रेड के वे विभागीय कर्मचारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2 : केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 4 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006- (वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है) से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर संगत ग्रेड वेतन/वेतनमान में की	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:- जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना-अध्यक्ष; 2. उप-सचिव/निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (फरक्का बैराज परियोजना संबंधी मामलों को देखने वाले)-सदस्य; 3. अधीक्षण अभियंता, फरक्का बैराज परियोजना- सदस्य स्थायीकरण के लिए समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना-अध्यक्ष; 2. अवसर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (फरक्का बैराज परियोजना संबंधी मामलों को देखने वाले) - सदस्य; 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य	आवश्यक नहीं।

	गई सेवा माना जाएगा/प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006- वह तारीख जिससे छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को, ऐसे मामले, जहाँ एक से अधिक संशोधन-पूर्व वेतनमान को सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान में मिला दिया गया है और जहाँ यह लाभ केवल इस पद (पदों) को दिया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रि ग्रेड होगा छोड़कर, आयोग की सिफारिशों के आधार पर संगत ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।		
--	--	--	--

[फा. सं. 2/21/2009-ई. III (एफबीपीई)]

अमित कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2016

G.S.R. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Farakka Barrage Project Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2003 and the Farakka Barrage Project (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2002 in so far as they relate to the posts of Stenographer Grade I and Stenographer Grade II in the Farakka Barrage Project except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade I in the Farakka Barrage Project, namely:-

- Short title and commencement** – (i) These rules may be called the Farakka Barrage Project (Stenographer Grade I) Recruitment Rules, 2015.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**— The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification** - No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said posts:-

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of the rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the posts	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether Selection Post or, non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and Other qualifications prescribed for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Stenographer Grade-I	8* 2015 *Subject	General Central Service. Group-'B', Non-	PB-2: Rs.9,300 34,800 plus Grade	Selection.	18 - 27 years (Relaxable for Government	1. 12 th Class pass from a recognized Board or University. 2. (a) Dictation for 10 minutes @ 100 words per	Not Applicable	2 years for direct recruits and promotees.

	to variation dependent on workload.	Gazetted, Ministerial.	Pay Rs. 4,200/-.		servants as per instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	minute. (b) Transcription in 40 minutes (English)/ 55 minutes (Hindi) on computer. Desirable: Diploma in Computer Application with one year duration. Note1: Qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission/ Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
--	---	---------------------------	---------------------	--	---	--	--	--

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
50 % by promotion failing which by deputation and 50% by deputation failing which by direct recruitment.	Promotion: Stenographers Grade-II in the Pay Band – 1, Rs. 5200- 20200 with Grade Pay of Rs. 2400 with ten years regular service in the grade. Note 1 : Where Juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6 th Central Pay Commission recommendations has	Group 'B' Departmental promotion Committee consisting of: (i) General Manager, Farakka Barrage Project –Chairman; (ii) Dy. Secretary/ Director, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (dealing with Farakka Barrage Project matter) – Member; (iii) Superintending Engineer, Farakka Barrage Project - Member	Not necessary.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
	been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay / pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For the purpose of appointment on deputation / absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay / pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay / pay scale, and where this benefits will extend only for the post(s) for which that grade pay / pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Note 3: One week's training in the field of duties of promotional post. Deputation : Officers holding the post of Stenographer under the Central Governments/ State/ UTs/ Autonomous Bodies/Statutory Bodies/ Public Sector Undertakings/ Research Institution/ Universities: (A) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or, (ii) with 10 years regular service in posts in pay band-I with Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent. Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications. Note 4 : For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Group "B" Departmental Confirmation Committee for confirmation consisting of: (i) General Manager, Farakka Barrage Project –Chairman; (ii) Under Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (dealing with Farakka Barrage Project matter) – Member; (iii) Senior Administrative Officer, Farakka Barrage Project - member	

[F. No. 2/21/2009-E. III(FBPE)]

AMIT KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गंगा बाढ़ नियंत्रण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2008 जहां तक कि उनका संबंध प्रधान लिपिक के पद से को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में प्रधान लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, प्रधान लिपिक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
प्रधान लिपिक	04* 2015 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 2: 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए	चयन	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में	आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में एक वर्ष का डिप्लोमा। टिप्पण : अनुभव संबंधी सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लडाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 50% सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: वेतन बैंड 1, वेतनमान 5,200-20,200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए के ऐसे विभागीय उच्च श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; प्रोन्नति संबंधी पद के कर्तव्यों संबंधी क्षेत्र में एक सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु, यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उच्च वेतन आयोगकी सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों के अधीन अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हो, या	समुह 'ब' विभागीय प्रोन्नति समिति:- जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) सदस्य, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग -अध्यक्ष; (ii) उप- सचिव/ निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के मामलों में व्यवहार करने वाला)-सदस्य; (iii) निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना - सदस्य समुह 'ब' विभागीय प्रोन्नति समिति:- जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना - अध्यक्ष; (ii) अवर सचिव, जल	आवश्यक नहीं।

	(ii) वेतन बैंड-1, 5200-20,000 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए में के उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पणी 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉर्डर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।	संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के मामलों में व्यवहार करने वाला)-सदस्य; (iii) प्रशासनिक अधिकारी, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, - सदस्य
--	---	---

[फा. सं. 22/13/2010-ई. III (जीएफसीसी)(पार्ट)]

अमित कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 20th January, 2016

G.S.R. 19.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ganga Flood Control Commission (Group “C” posts) Recruitment Rules, 2008, in so far as it relate to the post of Head Clerk, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Clerk in the Ganga Flood Control Commission, under the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Ganga Flood Control Commission, Head Clerk (Group ‘B’ post) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay and grade pay or scale of pay. - The number of the said posts, its classification, pay band and grade pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, I other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay/ pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Head Clerk	04* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4200/-	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) Note: - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidate in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chambba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	Essential : Bachelor's Degree from a recognized university. Desirable: One year diploma in Computer application from a recognized University or Institute. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of Candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any:	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for Direct Recruits and Promotees	50% by promotion failing which by deputation 50 by Direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion : From the departmental Upper Division Clerk in Pay Band-I, in pay scale of Rs.5200-Rs.20,200 with Grade Pay of Rs. 2400, with ten years regular service in the grade; and One week's mandatory training in related field of duties of the promotional post. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or	Group 'B' Departmental Promotion Committee for Promotion consisting of:- (i) Member Ganga Flood Control Commission - Chairman;	Consultation with UPSC Not necessary.

eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding payor pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation: (i) Officers under the Central Government/State Government or Union Territory Administration or Autonomous Bodies or Statutory Bodies or Public Sector Undertakings or Research Institutions or Universities: (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department, or (ii) with ten year's regular service in the grade of Upper Division Clerk in Pay Band-I, 5200-20200 with grade Pay of fs. 2400 Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade payor pay scale and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	(ii) Deputy Secretary/Director, Ministry of Water Resources, River development and Ganga Rejuvenation (dealing with Ganga Flood Control Commission Matter) - Member; (iii) Director, Ganga Flood Control Commission, Patna - Member; Group 'B' Departmental Confirmation Committee for confirmation consisting of:- (i) Director, Ganga Flood Control Commission -Chairman (ii) Under Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (dealing with Ganga Flood Control Commission matter - Member (iii) Administrative Officer, Ganga Flood Control Commission	
--	---	--

[F. No. 22/13/2010-E.III (GFCC) (Part)]

AMIT KUMAR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 20.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, डिस्पेंसर (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1986 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत कराते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में डिस्पेंसर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, डिस्पेन्सर (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**: पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति,—
(क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या
(ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिस्पेन्सर	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रुपये	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,	(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष (2) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 31 के खंड (ग) के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अर्हित भेषजज्ञ हो। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की	लागू नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	जा सकती हैं।		
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के लिए वे विभिन्न प्रक्रिया जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन :- केंद्रीय या राज्य सरकारों के अधीन अधिकारी - (i) जो मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धरण किए हों ; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग में वेतनमन 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 1900 रु या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो, और (iii) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1 : संस्थान में कार्य करने वाले ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने वेतनमन 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो और स्तम्भ (7) में दर्शाई गयी अभिकथित अर्हता रखते हों पर भी विचार किया जाएगा, यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है, तो पद को आमेलन द्वारा भरा गया समझा जाएगा। टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके आन्तरगत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य	लागू नहीं।

[फा. सं. ए. 12018/02/2015- ईपीआई]

बी. एल. मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 20th January, 2016

G.S.R. 20.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli, Dispenser (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dispenser in the Central Research Institute, Kasauli, Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Research Institute, Kasauli, Ministry of Health and Family Welfare, Dispenser, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dispenser.	1 * (2016) * Subject to variation depending on workload.	General Central Services, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial.	Pay band -1, Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2400/-.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years. Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	1. 12 th Class Pass or equivalent from a recognised Board; and 2. qualified Pharmacist as recognised under clause (c) of Section 31 of the Pharmacy Act, 1948. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case of candidates otherwise well qualified for reasons to be recorded in writing. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates	Not applicable.

Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates with the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
--	--	--

Period of promotion if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for direct recruits .	By deputation/absorption/failing which by direct recruitment.	Deputation/absorption.- The Officers under the Central or the State Governments.- i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre; or ii) with eight years regular services on regular basis in the parent cadre in the scale of Rs. 5200-20200 with grade pay 1900/- or equivalent, and iii) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). Note 1.- The departmental candidate working in the institution and possessing the qualification as laid down in column (7) with eight years regular service in the scale of Rs.5200-20200 plus grade pay 1900/- shall also be considered and in case he is selected for appointment to the post, it would be treated as having been filled by absorption. Note 2.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately in the same organisation/ Department shall ordinarily not exceed three years.	Group “C” Departmental Promotion Committee consisting of:- i) Director, Central Research Institute, Kasauli : Chairman ii) Deputy Director, Central Research Institute, Kasauli : Member iii) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli : Member	Not applicable.

[F. No. A.12018/02/2015-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.